न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/69/2018	21—05—2018	17—01—2019

01—मुन्नी देवी बेवा मुनीम

02—प्रदीप पुत्र मुनीम जाति चमार निवासी ग्राम डाबडबास, तहसील नीमराना जिला अलवर राज।

अपीलाण्ट

बनाम

01—नायब तहसीलदार मांढ़ण, जिला अलवर राज।

रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार मांढ़ण दिनांक 14.09.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 57/2017

उपस्थितः—

01—श्री पवन सिंह चौहान —वकील अपीलाण्ट

—:निर्णयः—

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार मांढ़ण के आदेश दिनांक 14.09.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम डाबडबास की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 969/0.01 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम डाबडबास की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 969/0.01 है0 पर कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 28.07.2017 को पटवारी द्वारा अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट संख्या 1 की मृत्यु अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज होने से पूर्व ही हो चुकी थी। अतः अपीलार्थीगण को पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 14.09.2017 के विरूद्ध दिनांक 04.12.2017 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का परीक्षण किया गया। जिससे जाहिर होता है कि नायब तहसीलदार मांढण का निर्णय छपे—छपाये साईक्लोस्टाईल प्रोफॉर्मा में जारी किया गया है। जिससे यह प्रतीत होता है कि नायब तहसीलदार मांढण द्वारा आदेश जारी करते समय विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है तथा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। नायब तहसीलदार मांढण को आदेश दिये जाते है कि यदि अपीलांट संख्या 1 की मृत्यु हो चुकी है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जावें।

अतः अपील अपीलान्ट नायब तहसीलदार मांढण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 17—01—2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)